न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर, जिला हनुमानगढ़(राज.)

पीठासीन अधिकारी– चंचल वर्मा आर.ए.एस.

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम–1994

प्रकरण संख्या– 16/2022

1. विरेन्द्र पुत्र बृजलाल जाति जाट निवासी थालड़का तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

बनाम

– प्रार्थी

1. साहबराम पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी थालड़का तहसील नोहर।
2. सरंपच ग्राम पंचायत थालड़का तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
3. विकास अधिकारी पचायत समिति नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

–अप्रार्थीगण

उपस्थितः– श्री राजपाल झोरड़ अधिवक्ता प्रार्थी

श्री विजय सिंह कड़वासरा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या–1

श्री रोहिताश सिहाग अधिकवक्ता अप्रार्थी संख्या–3

निर्णय दिनांकः 02-5-2023

प्रार्थी विरेन्द्र पुत्र बृजलाल जाति जाट निवासी थालड़का तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ द्वारा निर्णय दिनांक 07/04/2022 विकास अधिकारी पंचायत समिति नोहर प्रकरण सं. 29/2021 साहबराम बनाम विरेन्द्र में पारित को अपास्त करवाने बाबत निगरानी प्रस्तुत की है, जिसके संक्षेप में तथ्य निम्न प्रकार है–

1. अप्रार्थी संख्या–1 ने अधीनस्थ न्यायालय समिति में एक अपील इस आशय की पेश की. ग्राम पंचायत थालड़का तहसील नोहर के द्वारा अप्रार्थी सं. 1 के पक्ष में एक पट्टा दिनांक 21.02.2014 को जारी पट्टा सं. 20 को खारीज करने हेतु पेश की व कथन किया कि अप्रार्थी को एक बहुत पुराना पट्टा 9123.50 फुट क्षेत्र पर कब्जा शुदा व रहवास शुदा भूखण्ड है तथा जॉच में आर्युवैदिक चिकित्साल्य व सार्वजनिक चौक है। दिनांक 06.12.2021 को अप्रार्थी सं. 1 ने उक्त भूखण्ड के पश्चिम की और मुख्य दरवाजा के सामने निर्माण करने लगा तो अप्रार्थी ने उसे कहा कि निर्माण कार्य करने से मना किया व कहा कि उक्त

02/5/2023

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

जगह औषद्यालय के सामने सार्वजनिक चौक की जगह है व उक्त जगह अपीलार्थी के उक्त पट्टा शुदा व रहवास शुदा मुख्य दरवाजा के सामने पड़ती है व इस पर प्रत्यर्थी सं. 1 विरेन्द्र ने कहा कि उसने उक्त जगह का ग्राम पंचायत थालड़का से पट्टा बना रखा है, तो ग्राम पंचायत से ऐसे पट्टा की जानकारी चाही है व ऐसे पट्टो की नकल चाही तो दिनांक 08.11.2021 को प्राप्त की विरेन्द्र के पक्ष में राजस्थान पचायत राज सन् 1996 के नियम 157 के तहत पट्टा जारी शुदा है। अप्रार्थी सं. 1 उक्त जगह पर निर्माण कार्य करने पर उतारू है, अगर वह ऐसा करता है ,तो औषद्यालय के मुख्य द्वार के सामने पार्किग की जगह उपयोग – उपभोग बाधित होगा तथा सार्वजनिक जगह पर अतिक्रमण हो जायेगा। उक्त जगह पर अप्रार्थी का कभी भी कोई कब्जा नही रहा है तथा उक्त जगह मौके पर खाली है तथा पटटा सं. 20 जारी करते समय कोई नोटिस इत्यादि जारी नही किये गये थे। अप्रार्थी सं. 1 ने उक्त पट्टा साज–बाज कर जारी करवाया है, जिसे निरस्त किया जावे, उक्त अपील दर्ज होने के पश्चात प्रार्थी के द्वारा जवाब पेश किया तथा कथन किया कि ग्राम पंचायत थालड़का के द्वारा दिनांक 21.02.2014 को उसके पक्ष में पट्टा नियमानुसार जारी किया गया है तथा वह बतौर स्वामी काबिज है तथा उक्त अपील 7 वर्ष पश्चात पेश की है, जो मियाद बाहर है, तथा उक्त पट्टे की अपील सुनने का क्षेत्राधिकार नही है तथा अप्रार्थी का न तो उक्त जगह पर कोई हित है तथा ना ही उसकी जगह पर पट्टा जारी किया गया है। अपीलांट राजनैतिक कारणों से प्रार्थी का पट्टा खारिज करवाना चाहता है। इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज फरमायी जावे। जवाब पेश होने के पश्चात प्रार्थी का पट्टा दिनांक 07.04.2022 को खारिज कर दिया, जिससे व्यथित होकर प्रार्थी निम्न आधारो पर निगरानी प्रस्तुत कर रहा है–

(1) यह कि अपीलाधीन निर्णय कतई गलत व विधि के विरूद्व है तथा काबिल खारीज के है नकल निर्णय दिनांक 07.04.2022 सलग्न निगरानी के है।

(2) यह कि प्रार्थी का पट्टा दिनांक 21.02.2014 को जारी किया गया था तथा अप्रार्थी सं. 1 को इस बात का भली भान्ति ज्ञान था कि उक्त पट्टा प्रार्थी के द्वारा जारी करवाया गया है तथा वह उसे अपने उपयोग–उपभोग में ले रहा है। वावजूद इसके इतने विलम्ब से अपील पेश की जिसे अधीनस्थ समिति द्वारा स्वीकार किया गया है, जो कतई गलत व विधि के मूलभूत सिद्धान्तो के विपरीत है तथा काबिले खारिज है।

02/5/2023

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

(3) यह कि अधीनस्थ समिति के द्वारा प्रार्थी को ना तो दस्तावेज पेश करने का मौका दिया तथा ना ही सुनवाई का मौका दिया। मात्र जवाब को आधार मानकर तथा अपील में अंकित गलत तथ्यों को आधार मानकर प्रार्थी का नियमों के तहत जारी पटटा का खारिज कर दिया।

(4) यह कि प्रार्थी के विरूद्व पारित निर्णय में अधीनस्थ न्यायालय समिति के द्वारा यह तथ्य की अंकित किया है कि उक्त जगह पर सार्वजनिक पट्टा जारी किया जावे तथा ग्राम पंचायत के द्वारा दिनांक 05.05.2022 को नया पट्टा जारी कर दिया जो कि गलत व विधि विरूद्ध है तथा दिनांक 05.05.2022 को जारी पट्टा काबिले खारिजी है, जिसे खारिज फरमाया जावे।

(5) यह कि अधीनस्थ समिति के द्वारा मौका निरीक्षण नही किया गया तथा बरवक्त मौका निरीक्षण ना ही प्रार्थी को कोई नोटिस दिया गया उक्त रिपोर्ट अपील में दर्ज तथ्यों को ही मानकर तैयार कर निर्णय पारित किया है, जो काबिले खारीजी के है।

(6) यह कि अप्रार्थी सं. 1 के द्वारा जारी अपील हाजा प्रस्तुत की गयी थी तब प्रार्थी को नोटिस प्राप्ति पर उपस्थित होकर जवाब पेश किया गया तथा तत्पश्चात प्रार्थी को कोई इतला नही की तथा प्रार्थी के द्वारा उक्त अपील को दिनांक 24.01.2022 को अन्यत्र सुनवाई हेतु आवेदन किया तत्पश्चात उक्त अपील में कोई पेशी निश्चित नही की गयी तथा बाला–बाला तरीके से निर्णय पारित कर दिया तथा दिनांक 05.05.2022 को सार्वजनिक जगह पर पट्टा जारी कर अब दिनांक 04.11.2022 को सरपंच के द्वारा बतलाया की तुम्हारा पट्टा निरस्त हो चुका है तथा उक्त जगह सार्वजनिक जगह का पट्टा बना दिया गया है, तो प्रार्थी के द्वारा नकल प्राप्त की तथा आज बिना किसी देरी के निगरानी प्रस्तुत कर रहा है, जो ज्ञान में अन्दर मियाद है।

अतः निगरानी प्रस्तुत कर निवेदन है कि निर्णय दिनांक 07.04.2022 को निरस्त फरमाया जावे एवं पट्टा दिनांक 05.05.2022 को निरस्त फरमाया जावे।

निगरानी प्रस्तुत होनें पर दर्ज रजिस्टर की गई। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या–1 की ओर श्री विजयसिंह कड़वासरा एडवोकेट उपस्थित हुये। विकास

02/5/2023
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

अधिकारी पंचायत समिति नोहर की ओर से श्री रोहिताश सिहाग एडवोकेट उपस्थित हुये। अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी की ओर श्री राजपाल झोरड़ एडवोकेट ने अपनी बहस में कथन किया, जो निम्न प्रकार है–

1. अप्रार्थी संख्या–1 ने अपील पंचायत समिति नोहर में प्रस्तुत की, कि विरेन्द्र को पट्टा जारी किया गया। निगरानी वर्ष 2021 में पेश की गई और निर्णय दिनांक 07.04.2022 को हुआ। प्रस्तुत अपील लगभग 07 वर्ष बाद की गई। पंचायतीराज अधिनियम में 30 दिवस के पश्चात अपील नही की जा सकती, जो कि अधिनियम का प्रावधान है। वर्ष 2014 में पंचायत का आदेश आज भी कायम है। पट्टे के आवेदन में वार्ड पंच जांच कर रिपोर्ट करते है और पंचायत नोटिस जारी करती है। कोई एतराज नहीं होनें पर ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया गया। वर्ष 2021 में अपील पेश हुई। पंचायत से रिकार्ड भी तलब किया गया। एक माह में ही सार्वजनिक पट्टा जारी कर दिया गया। पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 162 में जिला परिषद से अनुमति लेकर ही 500 गज से अधिक का पट्टा जारी किया जाता है जबकि निःशुल्क पट्टा जारी हुआ है, मात्र एक माह में। पंचायत समिति द्वारा कथन किया गया कि पहले पट्टे जारी हुये थे। म्याद अधिनियम की धारा 5 के अनुसार– किसी निर्णय में हाथ से तथ्य अंकित हुआ नहीं होता, जैसा कि विचाराधीन अपील निर्णय में है।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या–1 की ओर से श्री विजयसिंह कड़वासरा ने अपनी बहस में कथन किया, जो निम्न प्रकार है–

1. दिनांक 07.04.2022 का निर्णय अध्यक्ष प्रशासन एंव स्थापना स्थाई समिति पंचायत समिति नोहर का निर्णय(साहबराम बनाम विरेन्द्र) अप्रार्थी साहबराम ने अपील पेश की। पट्टा सार्वजनिक औषद्यालय की भूमि का है और सार्वजनिक उपयोग की है। मेरा मकान और दुकान है, पर कब्जा करनें की कोशिश की तभी अपील पेश की। निर्माण होना चाहिए था। उक्त सार्वजनिक भूमि का पहले भी प्रार्थी के चाचा के नाम से पट्टा जारी किया गया था। उस समय हरिराम ने अपील पेश की और सार्वजनिक उपयोग की भूमि मानते हुये पट्टा पूर्व में खारिज कर दिया था। पंचायत के पट्टे के नोटिस भी जारी नहीं हुये एंवम रिपोर्ट में उक्त भूमि को खाली माना गया है। प्रार्थी के चाचा रामेश्वर को जहां पट्टा खारिज हुआ, वही विरेन्द्र ने पट्टा जारी करवा लिया। तीन कमेटियों की रिपोर्ट के अनुसार जमीन पर किसी का कब्जा नहीं है। उक्त भूखण्ड पंचायतीराज अधिनियम की धारा 157 में नहीं आते है। अतः निर्णय बहाल रखा

02/5/2023
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

जावे। यदि यह निर्णय खाारिज नहीं होता तो मेरा घर का रास्ता अवरूद्ध होता है। अतः मै पीड़ित पक्षकार हूँ। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या–1 ने निम्न दृष्टांत प्रस्तुत किये–

(1) RRD 1992 page no. 388 to 392

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या–1 ने न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 23.07.1999 अनवान ग्राम पंचायत थालड़का जरिये रामेश्वर सरपंच ग्राम पंचायत थालड़का बनाम पंचायत समिमि नोहर जरिये विकास अधिकारी पंचायत समिति नोहर, में निर्णय की प्रति एंव पंचायत समिति नोहर द्वारा पारित निर्णय की प्रति एंव पट्टे की प्रति प्रस्तुत की।

हमनें अधिवक्तागण की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया एंव अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की तलब शुदा पत्रावली का अवलोकन किया गया। निगरानीकर्ता के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या–1 ने पंचायत समिति नोहर में अपील पेश की कि विरेन्द्र को जारी पट्टा निरस्त किया जाए। यह अपील वर्ष 2021 में पेश हुई और निर्णय दिनांक 07.04.2022 को हुआ जबकि पट्टा वर्ष 2014 में जारी हुआ था। अपील 07 वर्ष बाद प्रस्तुत की है, जिसका कोई विशेष कारण नही बताया गया, जहां तक म्याद का प्रशन है, पंचायतीराज अधिनियम के तहत 30 दिवस में ही अपील की जा सकती है। प्रार्थी का पट्टा ही खारीज किया है जबकि ग्राम पंचायत का आदेश आज भी यथावत है। पट्टा जारी करने की प्रक्रिया के तहत आम नोटिस जारी होता है। इस प्रकरण में भी नोटिस पर कोई आपति नही होनें पर ही पट्टा जारी किया गया। प्रार्थी का पट्टा पंचायत समिमि नोहर ने खारिज कर मात्र एक माह में ही सार्वजनिक पट्टा जारी किया गया। पंचायतीराज नियम के नियम 162 में प्रावधान है कि 500 वर्गगज से अधिक का पट्टा जिला परिषद से अनुमति के पश्चात ही जारी किया जा सकता है जबकि ग्राम पंचायत द्वारा ऐसा नहीं किया गया। अप्रार्थी के अधिवक्ता ने अपने तथ्य पेश करते हुये कहा कि दिनांक 07.04.2022 का निर्णय साहबराम बनाम विरेन्द्र की अपील में अप्रार्थी साहबराम ने कथन किया कि यह विवादित भूखण्ड सार्वजनिक औषद्यालय की भूमि है और सार्वजनिक उपयोग की है। पास ही मेरा मकान व दुकान भी है। अप्रार्थी विरेन्द्र ने कब्जा करनें की कोशिश की इसलिए अपील पेश की है। पहले भी अप्रार्थी विरेन्द्र के चाचा रामेश्वर ने पट्टा बनवाया था, जिसे सार्वजनिक उपयोग की भूमि मानते हुये पूर्व में खारिज किया गया

02/5/2023
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

था। ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टे के नोटिस भी जारी नहीं हुये, जहां पूर्व में पट्टा खारिज हुआ वहीं पुनः पट्टा जारी करवा लिया। पत्रावली में तीन कमेटियों की रिपोर्ट है साहबराम का कथन है कि पट्टा जारी होनें से मेरा रास्ता रूकता है जिससे मैं पीड़ित हूँ। अपनें तर्को के समर्थन में अप्रार्थी के अधिवक्ता ने निम्न दृष्टांत प्रस्तुत किये–

(1) RRD 1992 page no. 388 to 392

निगरानीकर्ता के अधिवक्ता ने पुनः निवेदन किया कि अगर अप्रार्थी ये कथन करता है कि उसका रास्ता रूकताा है तो पट्टे के चारों ओर सड़क व रास्ता है, तो किस प्रकार प्रार्थी का रास्ता रूकता है। पूर्व में हुये निर्णयो यह सिद्ध नहीं होता है कि ये पट्टा वहीं का है। साथ ही धारा 5 का कोई विश्वसनीय जवाब भी प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः पंचायत समिति को फैसला निरस्त योग्य होनें से निरस्त किया जावे।

पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि उक्त अपील साहबराम बनाम विरेन्द्र में 15.12.2021 को मौका रिपोर्ट हेतू कमेटी गठन के आदेश जारी हुये। परन्तु कमेटी द्वारा पक्षकारों को न ही सूचित किया गया और न ही पक्षकार उपस्थित थे। फर्द मौका के साथ कहीं भी नजरी नक्शा नहीं दर्शाया गया है। ऐसे में रिपोर्ट स्वीकार्य नहीं है। निगरानीकर्ता को जारी पट्टे के चारों और सड़क व आम रास्ता दर्ज है। ऐसे मे किसी का रास्ता रोकना सिद्ध नहीं होता है। जहां तक पूर्व में पारित निर्णय का प्रशन है, जिसके द्वारा निगरानीकर्ता के चाचा का पट्टा खारिज किया गया था, उससे भी यह ज्ञात नहीं होता है कि यह भूमि वही भूमि है। उक्त भूमि को सार्वजनिक घोषित करनें का कोई दस्तावेज भी किसी स्तर से जारी हो तो पत्रावली में संलग्न नहीं है। निगरानी कर्ता विरेन्द्र को जारी पट्टे में ऐसा कोई तथ्य दर्ज नहीं है। जहां प्रस्तुत दृष्टांतो का संबध है, अप्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत दृष्टांत RBJ-2008 page no. 388 पूर्णतया लागू नहीं होता है क्योंकि उक्त दृष्टांत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत विश्लेषण है जबकि विचाराधीन निगरानी राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के तहत सुनी जा रही है। अपील पेश करनें में लगे 07 वर्ष के समय का कोई ठोस कारण प्रस्तुत नहीं किया गया है जबकि अप्रार्थी का कथन है कि पूर्व में निगरानीकर्ता के चाचा का पट्टा भी खारिज हुआ था। ऐसे में देरी का कोई कारण प्रस्तुत न होना संदेहास्पद है।

02/5/2023
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

अतः सभी पक्षों पर विचार उपरांत इस न्यायालय के मत में गुणावगुण एंव म्याद दोनों ही बिन्दुओं पर यह निगरानी स्वीकार योग्य है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज किया जाता है और निगरानीकर्ता विरेन्द्र पुत्र बृजलाल का पट्टा बहाल किया जाता है व दिनांक 05.05.2022 को उक्त भूमि का जारी पट्टा निरस्त किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का तलबशुदा रिकार्ड निर्णय की प्रमाणित प्रति संलग्न कर लौटाया जावे। पत्रावली फैसलाशुमार होकर नबंर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखा जाकर आज दिनांक 02-05-2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

02/5/2023

(चंचल वर्मा R.A.S.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)